

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज० जयपुर

क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ (एफ-1456)/2018/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ /2018/240 दिनांक 17.04.18 के द्वारा राज्य में मोबाईल फुड टेस्टिंग लेबोरेटरी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्री रोहित कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को कार्यसम्पादन हेतु नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन लगाया गया था, के स्थान पर श्री बनवारी लाल जोशी, लैब टेक्नीशियन, अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को तुरन्त प्रभाव से उक्त कार्य सम्पादन हेतु अग्रिम आदेशों तक लगाया जाता है, फलस्वरूप श्री रोहित कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन पूर्व की भांती प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर में यथावत कार्यरत रहेंगे।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर।

क्रमांक:- ई-33/ले.टे./ (एफ-1456)/2018/ 362

दिनांक : 08/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०) मुख्यालय।
4. नोडल अधिकारी (माईक्रोबायोलोजिकल लेबोरेटरी/एमएफटीएल) एवं मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर/उदयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को भेज कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को अविलम्ब कार्यमुक्त करे।।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. संबंधित कर्मचारी को अविलम्ब पालनार्थ द्वारा उनके प्रशारानिक अधिकारी।
10. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर।